एक नजर में

पिकअप से 4 गौवंश कराए मुक्त, प्रकरण दर्ज

सनावद, निप्र । सनावद थाना पुलिस ने पिकअप वाहन में अवैध रुप से किए जा रहे गौवंश परिवहन का मामला उजागर किया है। कार्रवाई में पुलिस ने पिकअप जब्त कर 4 गौवंश मुक्त कराए है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन एमपी 04 झेडव्हाय 0591 को रेवा गुर्जर कॉलेज के पास से नहर के रास्ते पर रोका गया। चालक ने अपना नाम अरुण निवासी पीपरपानी थाना सांईखेडा जिला नरसिंहपुर का होना बताया। तलाशी लेने पर वाहन में 4 गौवंश भरे होना पाए गए। परिवहन के दस्तावेज नहीं होने पर अरुण को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया है। प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

फैंसी, डिजायनर पिचकारियों से सजा बाजार

खरगोन, निप्र । रंगों का त्यौहार होली नजदीक आते ही बाजार में रौनक बढने लगी है। शहर के प्रमुख बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों से सजी दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। खासतौर पर एमजी रोड़ पर सजा रंगों और आकर्षक पिचकारियों से सजा बाजार लोगों को लुभा रहा है। रंग विक्रेता तुलसीराम गंगवानी, कपिल आलीवाल, हर्षित सोनी ने बताया होली बाजार में इस बार अनोखे डिजाइन की पिचकारियां हर उम्र के लोगों को लुभा रही है। पहली बार इलेक्ट्रानिक पिचकारी के साथ ही अग्निशमन डिजाईन का स्प्रे बेहद पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा गदा, तलवार, त्रिशुल, बाहुबली तलवार और हथौड़े के आकार की पिचकारियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बच्चे इन अलग-अलग आकृतियों वाली पिचकारियों को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं।

योग व्यायाम से सीख रहे खुश रहने की कला

खरगोन, निप्र । समीपस्थ ग्राम मोठापुरा में शुक्रवार से तीन दिवसीय नए दृष्टिकोण वाले शिविर की शुरुआत की गई। पहले दिन साधकों ने उत्साह के साथ विभिन्न प्रयोग कर अपने भीतर छुपी ऊर्जा को जाना। शिविर में जितेंद्र भावसार ने बताया शरीर में पॉजीटिव एनर्जी के लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम व सम्यक ध्यान जरुरी हे। इस तकनीक को सीखकर रोज घर पर अभ्यास करने से गंभीर शारीरिक व मानसिक बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, माइग्रेन, अस्थमा, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, बैचेनी आदि को दूर किया जा सकता है। इस शिविर में प्रवचन नही वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते है। शिविर का लाभ ले रहे मोहन जायसवाल ने बताया कि सुबह 6 बजे से शिविर में अभ्यास शुरु होता है। इसमें योग साधना, व्यायाम से खुश रहने की कला सिखाई जाती है। शिविर समाप्ति के बाद 15 से 20 प्रकार का ऊर्जावान अदृश्य नाशता प्रदान किया जा रहा है।

किस्त के दबाव में युवक ने मौत को लगाया गले!

खरगोन, निप्र । कोतवाली क्षेत्र के कालाखेत लक्ष्मी नगर में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक अपने ही घर में साड़ी का फंदा बनाकर झूल गया। नजर पडने पर परिजन युवक को अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि निजी फायनेंस कंपनी की किस्तों के दबाव में युवक ने उक्त घातक कदम उठाया है। मिली जानकारी अनुसार कुंदन संतोष पांजरे (35) की फांसी लगाने से मौत हो गई। पीएम रुम पहुंचे मृतक के बड़े भाई विक्की और मनीष ने बताया कि कुंदन ढोल- तांशें बजाने का काम करता था। कुंदन ने एक निजी कंपनी से 50 हजार रुपए का कर्ज लिया था। समय पर उसकी किस्त नही चुका पाया था, जिससे कंपनी के कर्मचारी उसे बार- बार परेशान कर रहे थे। मनीष और विक्की ने फायनेंस कंपनी कर्मचारी पर धमकाने के लिए कार्रवाई की मांग की है।

पूज्य गुरु देव पधारे ओर मां ऋत्मभरा गायत्री को अपने कर कमलों से विराजित किया

बिस्टान, निप्र । क्षेत्र के लिए गुरुवार बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। इसी तारीख को हमारे आराध्य परमपूज्य गुरु देव पधारे ओर मां ऋत्मभरा गायत्री को अपने कर कमलों से विराजित कर इस ग्राम बिस्टान की ओर पूरे क्षेत्र की भू धरा को पावन, निर्मल, और धन्य कर दिया। हम सभी आभारी है उस महापुरुष के जिनके माध्यम से हमें अपने आराध्य गुरु सत्ता से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम आत्मीय परिजनों साथ ही परम् पूज्य गुरु सत्ता व अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान मे तहसील समन्वय समिति पुनर्गठन के क्रम को दोप 1 बजे पूर्व निर्धारित सूचना के आधार पर खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील का

पुनर्गठन का आयोजन संपन्न हुआ। गोष्ठी में जिला समन्वयक श्री जोगीलाल जी मुजाल्दे द्वारा शांतिकुंज हरिद्वार से प्राप्त निर्देशों को प्रदान करते हुए तहसील समन्वय समिति के निर्धारित कार्य दायित्व की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ताओं के दायित्व को समझाते हुए चयनित सदस्यों के नाम की घोषणा कर सर्वसहमति से प्रस्ताव, समर्थन किया गया। इस अवसर पर उपझोंन प्रतिनिधि श्री संतोष पाटीदार द्वारा संगठन की रीति नीति पर उद्बोधन दिया गया। आदरणीय श्री रूपसिंह बाबा की अध्यक्षता में सर्वसहमति से 15 सदस्य भगवानपुरा तहसील समन्वय समिति का पुनर्गठन किया गया। तहसील संयोजक के रूप में किशन डावर का तहसील सहसंयोजक रामलाल डावर जी का सर्वसहमति से चयन किया गया। साथ ही अभियानों के 13 सदस्यों को उपस्थित परिजनों की सहमति से चयनित कर शुभकामना दी गई। ओर इस ऐतिहास दिन परम् पूज्य गुरुदेव के आवाह्न पर नव युग के निर्माण के आधार गायत्री शक्तिपीठ के निर्माण हेतु स्थानीय भामा शाहों को सहयोग के लिए आमन्त्रित किया।

10 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों धराया लेखाधिकारी

भगवानपुरा जनपद के अकाउंटेंट ने सीईओ के नाम पर मांगे थे 50 हजार रुपए

नवभारत न्यूज

खरगोन, निप्र । भगवानपुरा जनपद क्षेत्र में निर्माण कार्यों की फाईल स्वीकृति के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने लेखाधिकारी महेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त पुलिस आरोपी चौहान को खरगोन सर्किट हाउस लेकर पहुंची। यहां गुरुवार रात करीब 10 बजे कार्रवाई की गई।

लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी अनुसार आवेदक राजेश पिता गोविंद पंवार निवासी ग्राम बिस्टान ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे ठेकेदारी का कार्य करते हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत हीरापुर में सीसी रोड एवं चेक डैम निर्माण कार्य के लिए पंचायत से ठहराव-प्रस्ताव बनवाकर 20 जनवरी 2026 को संबंधित फाइल जनपद पंचायत भगवानपुरा के लेखाधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को सौंपी थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि फाइल आगे बढ़ाने के एवज में लेखाधिकारी ने उसी समय 10 हजार रुपये ले लिए और कहा कि कुल 10 लाख रुपये के कार्य में प्रतिशत देना होगा। आरोपी ने कथित तौर पर 50 हजार रुपये सीईओ के नाम पर अलग से देने की बात भी कही। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर ने शिकायत का सत्यापन कराया।

शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की

सत्यापन के दौरान आवेदक को अंबाह पंचायत के सरपंच से दो नए कार्यों के ठहराव प्रस्ताव स्वीकृत करवाए और फाइलें तैयार कर लेखाधिकारी से स्वीकृति की बात कराई गई। इसके एवज में रिश्वत देना तय हुआ। निर्धारित योजना के अनुसार 26 फरवरी को जैसे ही लेखाधिकारी महेंद्र सिंह चौहान ने आवेदक से 10 हजार रुपये की रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने उसे खरगोन में रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण सशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अतर्गत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर सुनील तालान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक चंद्रमोहन बिष्ट, आशीष नायडू, रामेश्वर निंगवाल, शैलेन्द्र सिंह बघेल, कमलेश तिवारी और प्रभात मोरे शामिल रहे।

भगोरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कार्रवाई

खरगोन। कलेक्टर भव्या के निर्देशानुसार जिले में भगोरिया के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर छापामार कार्यवाही की जा रही है।

भगोरिया के दौरान खाद्य अधिकारियों की टीम ने काबरी, भसनेर, मेला ग्राउंड खरगोन, बरूड एवं सेगांव में औचक निरीक्षण किया और 16 खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल आवास्या ने बताया कि भगोरिया के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किये गए हैं। इस दौरान कमल किराना काबरी से खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल, नरेन्द्र किराना काबरी से सेंव का, केसरी किराना काबरी से खजुर का, सोनिया आईस्कीम भसनेर से मटका कुल्फी का, कमल पिता श्री राजु वर्मा मेला ग्राउन्ड खरगोन से हर कंगन का, विनोद पिता श्री बाबुलाल वर्मा मेला ग्राउन्ड खरगोन से सेंव का, रोहित पिता श्री दिनेश वर्मा मेला ग्राउन्ड खरगोन से रोस्टेड चना का, आकाश पिता श्री रामेश्वर वर्मा मेला ग्राउन्ड खरगोन से खजुर का, श्याम मटका कुल्फी बरुड से मटका कुल्फी का, ऋषभ दूध डेयरी बरुड से मावा का, जायसवाल किराना बरुड से गुड का, जगदीश पिता श्री राजाराम ढालें सेंगाव से गुड का, राधेश्याम पिता श्री कैलाश मधुकर सेंगाव से जलेबी का, विनोद पिता श्री गणेश मधुकर सेंगाव से जलेबी का, महेश पिता रमेश वर्मा सेंगाव से बेसन का एवं नरेन्द्र पिता संतोष सेंगाव से हर कंगन का नमूना संग्रहित किया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आवास्या ने बताया कि नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। खाद्य पदार्थों की जांच के उपरांत अमानक पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 के तहत विक्रेताओं पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भगोरिया के दौरान आगामी दिनों में भी सतत निरीक्षण कर जांच की कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरआर सोलंकी उपस्थित थे।

पेरा लीगल वॉलिंटियर्स की बैठक

कसरावद, निप्र । तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष मीता पवार जदेंल द्वारा 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमजन को विधिक सेवाओं और शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर कसरावद में पेरा लीगल वॉलिंटियर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

अध्यक्षता करते हुए समिति की अध्यक्ष मीता पवार जंदेल ने उपस्थित वॉलिंटियर्स को निर्देशित किया कि वे डोर-टू-डोर संपर्क कर आम नागरिकों को नेशनल लोक अदालत के महत्व और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का त्वरित, सुलभ एवं आपसी सहमति से समाधान संभव है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। अध्यक्ष ने वॉलिंटियर्स से कहा कि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दें, ताकि पात्र हितग्राही इनका लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर अध्यक्ष मीता पवार जंदेल ने आमजनों से अपील की कि वे 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं और इस अवसर का लाभ लें। बैठक में उपस्थित पेरा लीगल वॉलिंटियर्स आकिल खान, देवदत्त एक्कल, डॉक्टर सुदर्शन गोखले, जगदीश वर्मा एवं सुधीर सराफ ने लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया।

वन अधिकार अधिनियम व प्रावधानों पर अशासकीय सदस्यों को दिया प्रशिक्षण

खरगोन, निप्र । जनजातीय कार्य विभाग म.प्र शासन भोपाल द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान, सामुदायिक वन अधिकारो तथा धारा 3(1)(i) में उल्लेखित सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण एवं प्रबन्धन के अधिकारों को मान्यता दिये जाने विषय पर अधिनियम के क्रियान्वयन में संलग्न अशासकीय सदस्यों के Capacity Building/Training का प्रशिक्षण 17 फरवरी को स्वामी विवेकानंद सभागृह खरगोन में आयोजित किया गया।

यह प्रशिक्षण स्टेट मास्टर ट्रेनर्स घनश्याम रैकवार, रामप्रसाद काजले, जंगलसिंह परते द्वारा दिया गया। इस दौरान जिला समन्वयक एफआरए श्री अरविंद रावत द्वारा वन अधिकार अधिनियम की आवधारणाओ पर विस्तृत चर्चा की गयी। प्रशिक्षण में उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति खरगोन के सदस्य श्री विजय राधेश्याम चौहान, भीकनगांव के श्री मांगीलाल तेज्या, मण्डलेश्वर की समिति की श्रीमती लक्ष्मीबाई राहूल, जिला स्तरीय मास्ट्रर ट्रेनर्स श्री नीरज अमझरे, श्री प्रभात प्रमार्थी, श्री मनीष डुडवे, कालूसिंह मण्डलोई, मेहताब बर्डे, श्री संतोष मेहता एवं जनजातीय विभाग की सहायक संचालक कविता आर्य उपस्थित थे।

मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से होता है हल : जोशी

मंडलेश्वर, निप्र। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रधान जिला न्यायाधीश जोशी ने मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी विवाद का हल दोनों पक्षों की सहमति से ही निकाला जाता है। इसमें उभय पक्ष अपने मन की बात कर सकता है। उसकी बात गोपनीय रखी जाती है। जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा होता है उस न्यायाधीश के अलावा किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाया जाता है, जो दोनों पक्षों से अलग अलग बात कर एक सर्वमान्य हल की तरफ बढ़ता है। इस प्रक्रिया से समय और धन की भी बचत होती है और दोनों पक्षों को न्याय मिलता है। दोनों पक्षों को जीत मिलती है। न्यायाधीश जोशी ने कहा कि 14 मार्च 2026 को आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण हेतु रखे जायेंगे। संबंधित पक्षकार अपने अधिवक्ता या संबंधित न्यायालय के माध्यम से लोक अदालत में अपने प्रकरणों को समझौते के लिए रख सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के मामलों का आपसी समझौते से निराकरण करवा सकते हैं। इसमें छूट का लाभ ले सकते हैं जैसे कोर्ट फीस आदि। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं समझौते के आधार पर होता है। वह कोर्ट का ही फैसला होता है तथा उस फैसले की मान्यता भी रहती है। शिविर में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश मंडलेश्वर श्री मोहित बड़के ने कानून की विस्तृत जानकारी के बारे में बताते हुए कहा कि विधिक सेवा संस्था न्याय पालिका की एक इकाई है, जिसका मुख्य उद्देष्य नि:शक्तजन, समाज के पिछड़े व्यक्तियों को विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जागरूक करती है।

आम लोगों को उनके विधिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में दी जानकारी

यदि किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता नहीं है, तो वह विधिक सेवा संस्था के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं के अधिकारों एवं भरण पोषण के संबंध में कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई ने पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, उद्देष्य, कार्य, नि:शुल्क विधिक सहायता एवं मीडिएशन एवं नेशनल लोक अदालत के कार्यो के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी मण्डलोई ने आभार माना तथा कार्यक्रम के अंत में आगामी नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 के पॉम्पलेट का भी वितरण किया गया। शिविर में रूपेश शर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता, संजय सोनी, नितिन खेड़े, पीएलव्ही एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।

एक नजर में — निमाड़ मालवा का प्रथम नवीन सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 रत्नमई भगवान की प्रतिमा होंगी विराजित

पावागिरीजी ऊन सिद्ध क्षेत्र पर आध्यात्मिक रंगों की होली और 20वां वार्षिक मेला 6 से

नवभारत न्यूज

सनावद, निप्र । हर वर्ष के मुताबिक इस वर्ष भी पावागिरी जी ऊन सिद्ध क्षेत्र का 20 वा वार्षिक मेला और आध्यात्मिक रंगों की होली और वार्षिक मेले का आयोजन दिनांक 6, 7 और 8 मार्च को रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित किया गया है।

सन्मति जैन काका ने बताया कि इस वार्षिक मेले को 20 वर्ष हो गए जो समस्त निमाड़ मालवा के निवासियों का महत्वपूर्ण उत्सव है, इस वर्ष वार्षिक मेले की विशेषता यह रहेगी कि इस वर्ष तीन दिवसीय मेला आयोजित किया गया है, साथ ही पूरे निमाड़ मालवा का किसी तीर्थ पर प्रथम सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 रत्नमई प्रतिमा विराजित होंगी, क्षेत्र के प्रचार मंत्री आशीष जैन ने बताया कि गत वर्ष माह अप्रैल 2025 में परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी के पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के वरद हस्त और विशाल संघ के सानिध्य में प्रतिष्ठित और सूर्य मंत्र से मंत्रित भगवान को भव्य जिनालय में विराजित किया जाएगा, सहस्त्रकूट जिनालय बन कर पूर्ण रूप से तैयार है, इस अवसर पर आचार्य श्री विप्रणत सागर जी महाराज का ससंघ सानिध्य प्राप्त होगा, आचार्य श्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, दिनांक 6 मार्च को प्रात: ध्वजारोहण के साथ मंडल विधान किया जाएगा और शुभ मुहूर्त में रत्नमई प्रतिमा नवीन जिनालय में विराजित होंगी, पूरे देश भर से जिन जिन श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिमा विराजित करने की स्वीकृति प्रदान की है वे सपरिवार पधार कर भगवान विराजमान करेंगे, सायंकाल भगवान की आरती और मुनि संघ की आरती संपन्न होगी और धार्मिक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए है।

सुबह महावीर मंदिर में भगवान के अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, आयोजित की जाएगी भी भगवान विराजित किए जा कर विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान मंत्रोच्चार के साथ किए जाएंगे, भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी, साथ ही आचार्य श्री की धर्म देशना भी होगी, 8 तारीख को प्रात: तलहटी में भगवान महावीर स्वर्ण जिनालय में भगवान के अभिषेक, शांतिधारा, नित्य नियम की पूजन, मंडल जी का विसर्जन और विश्व शांति के लिए हवन होगा साथ ही आचार्य संघ की आहार चर्या संपन्न होगी, दोपहर को आचार्य श्री के प्रवचन, सम्मान समारोह और तलहटी से भगवान शांति नाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ पहाड़ी पर शोभा यात्रा के रूप में जा कर अभिषेक और शांतिधारा की जाएगी, ट्रस्ट अध्यक्ष हेमचंद झांझरी और महामंत्री अशोक झंझरी ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के लिए मेला कमेटी, प्रबंधन कमेटी और ट्रस्ट कमेटियों ने संपूर्ण तैयारियां कर ली है आने वाले साधर्मी की चाय, नाश्ते, भोजन की व्यवस्था कमेटी ने दानदाताओं के सहयोग से की गई है।